

प्रेषक,

दिलीप कोटिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 05 सितम्बर, 2012

विषय: विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें तथा निःसंवर्गीय पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।


महोदय,

शासनादेश संख्या 902/XX(2)/2012-55(47)/2004 टी.सी दिनांक 05.09.2012 में राज्याधीन लोक सेवाओं में प्रोन्नति के प्रक्रम पर रिक्तियों को भरने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये हैं। तदक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें शीघ्रता से आयोजित की जायें तथा विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के अनुसार प्रोन्नति के प्रक्रम पर रिक्त पदों को भरा जाये।

2. शासनादेश संख्या 904/XX(2)/2012-55(47)/2004 टी.सी दिनांक 05.09.2012 से राज्याधीन लोक सेवाओं में कार्मिकों को निःसंवर्गीय पदों पर नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये हैं। मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि निःसंवर्गीय पदों के सृजन के लिए जनपदों/विभागों से प्रस्ताव भेजने और निःसंवर्गीय पदों के सृजन की कार्यवाही शासन स्तर पर करे जाने में अनावश्यक विलम्ब होने की सम्भावना रहती है। अतः उक्त स्थिति के निराकरण के लिए प्रोन्नति के प्रक्रम पर जहाँ जितने निःसंवर्गीय पद आवश्यक हों उतने निःसंवर्गीय पद सृजित समझे जायेंगे ताकि उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या 902/XX(2)/2012-55(47)/2004 टी.सी दिनांक 05.09.2012 तथा 904/XX(2)/2012-55(47)/2004 टी.सी दिनांक 05.09.2012 के क्रियान्वयन में विलम्ब न हो।

3. कृपया विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें तथा निःसंवर्गीय पदों पर नियुक्तियां उपरोक्तानुसार शीघ्र सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,



(दिलीप कोटिया)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 905 / XXX(2) / 2012-55(47) / 2004 टी.सी. / तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड को महामहिम राज्यपाल के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड को मा० अध्यक्ष, विधानसभा के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. समस्त निजी सचिव, मा० मंत्रीगण को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड।
6. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
7. मण्डलायुक्त कुमायूं/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड।
10. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,



(अरविन्द सिंह हयांकी)
अपर सचिव।